उ0प्र0 विकास प्राधिकरण सेवा के कार्मिकों के लिए उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 यथा संधोधित नियमावली, 2014 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 30.08.2023 को पूर्वान्ह 11.30 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त :

उपस्थिति

उपाध्यक्ष / सचिव / अपर सचिव / वित्त नियंत्रक / अभियन्ता,

1– वाराणसी विकास प्राधिकरण
2– बागपत–बड़ौत–खेकड़ा विकास प्राधिकरण
3– गोरखपुर विकास प्राधिकरण
4– कानपुर विकास प्राधिकरण
5– गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
6– लखनऊ विकास प्राधिकरण
7– बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण
8– खुर्जा विकास प्राधिकरण
9– मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण
10– उरई विकास प्राधिकरण
11– बरेली विकास प्राधिकरण
12– हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
13– प्रयागराज विकास प्राधिकरण
14– अलीगढ़ विकास प्राधिकरण
15– मेरठ विकास प्राधिकरण
16– बस्ती विकास प्राधिकरण
17– आगरा विकास प्राधिकरण
18– उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण
19– रायबरेली विकास प्राधिकरण
20– मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

2– बैठक में उ0प्र0 विकास प्राधिकरण सेवा के कार्मिकों के लिए उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 यथा संधोधित नियमावली, 2014 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में उपर्युक्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष / सचिव / अपर सचिव / वित्त नियंत्रक / अभियन्ता से विचार–विमर्श किया गया।

(1) कतिपय प्राधिकरणों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 यथा संधोधित नियमावली, 2014 को अंगीकृत कर लिया गया है। प्राधिकरण नियमावली अंगीकृत किये जाने में आने वाले व्यय भार वहन करने में सक्षम हैं। प्राधिकरणों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु बजट का प्राविधान भी किया गया है।

(2) कतिपय प्राधिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा केन्द्रीयित एवं अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

(3) आगरा एवं मुरादाबाद विकास प्राधिकरणों को छोड़कर अन्य प्राधिकरणों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा केवल सेवारत कर्मियों को ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया जा रहा है, जबकि सेवानिवृत्त कार्मिकों को इसका लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।

(4) उ0प्र0 विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किये जाने हेतु उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 यथा संधोधित नियमावली, 2014 को अंगीकृत किये जाने हेतु विचार किया जाना है।

(5) कतिपय प्राधिकरणों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 यथा संधोधित नियमावली, 2014 को अंगीकृत नहीं किया गया है परन्तु प्राधिकरण में सेवारत कार्मिकों को अन्य माध्यमों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जा रही है।

(6) उ0प्र0 विकास प्राधिकरण के कार्मिकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति में एकरूपता हेतु विचार किया गया।

(7) उ0प्र0 विकास प्राधिकरण के कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान न किये जाने के दृष्टिगत विभिन्न न्यायालयों में वाद योजित हो रहे हैं।

3— उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा—4(2) के प्राविधानों के अनुसार विकास प्राधिकरण निगमित निकाय (Body Corporate) है। उक्त अधिनियम की धारा—5 (क) में विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवाओं के सृजन का प्राविधान है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा का सृजन किया गया है तथा उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 (यथासंशोधित) प्रख्यापित की गयी है। उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों के सेवा संबंधी प्रकरण उक्त नियमावली से शासित है। उक्त नियमावली के नियम—38 के प्राविधान निम्नवत है :—

> "जहॉ सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहॉ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।"

4— सूच्य है कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के नियम—5(3) के प्राविधानों के अनुसार प्राधिकरण के सचिव, मुख्य लेखाधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी प्राधिकरण के कोष से ऐसे वेतन एवं भत्तों को प्राप्त करने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसे इस निमित निर्मित विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाय। साथ ही उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 (यथासंशोधित) के नियम—30 में प्राविधान है कि सेवा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का वेतन और भत्तों का भुगतान उस विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा जहां वे तत्समय नियुक्त हों।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 एवं उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 (यथासंशोधित) के उक्त प्राविधानों से स्पष्ट है कि विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों के वेतन, पेंशन, भविष्य निधि अथवा उपदान इत्यादि सम्बन्धी भुगतान हेतु व्यय—भार सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों द्वारा ही वहन किया जाता हैं।

5— उक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 यथा संधोधित नियमावली, 2014 को बोर्ड बैठक में रखते हुए अंगीकृत किये जाने के संबंध में विचार किया जाय। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य विकास प्राधिकरणों से समन्वय स्थापित कर हेल्थ इन्श्योरेन्स कवर, प्रीमियम आदि का परीक्षण कर एवं प्राधिकरणों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में यथोचित प्रस्ताव उपलब्ध करायें।

6– उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त बैठक में जिन प्राधिकरणों द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया, उनके द्वारा बैठक में उपस्थित न होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाय एवं उक्त बैठक में अनुपस्थित प्राधिकरणों के साथ वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुनः एक बैठक आहूत की जाय।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5
संख्याः 1672/आठ–5–2023
लखनऊः दिनांकः 12 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

3– गार्ड फाइल।

13.9.2023
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।